पत्रांक /आयु0क0उत्तरा0/वाणि0क0/वाद–अनुभाग/देहरादून/2013–2014
कार्यालय आयुक्त कर, उत्तराखण्ड,
(वाद–अनुभाग)
देहरादून ::दिनांक:: 30 नवम्बर,2013

समस्त डिप्टी कमिश्नर वाणिज्य कर,
समस्त असिस्टेंट कमिश्नर वाणिज्य कर,
समस्त वाणिज्य कर अधिकारी, उत्तराखण्ड।

उत्तराखण्ड शासन की अधिसूचना संख्या–1142/2013/76(110)/XXVII (8)/13 दिनांक–26.11.2013 का सन्दर्भ ग्रहण करें, जिसके द्वारा उच्च शक्ति प्राप्त समिति के समक्ष लम्बित वादों के सम्बन्ध में शासनादेश सं0–1156/2013/ 08(120) /XXVII(8)/2003 दिनांक–26.11.2013 द्वारा शासनादेश में वर्णित व्यवस्थानुसार अग्रेत्तर कार्यवाही करने हेतु निर्देशित किया गया है। (छायाप्रति संलग्न)

उपरोक्त के क्रम में आपको निर्देशित किया जाता है कि शासन द्वारा दिये गये दिशा–निर्देशानुसार आवश्यक कार्यवाही करना/करवाना सुनिश्चित करें।

संलग्न–उपरोक्तानुसार।

(पीयूष कुमार)
एडिशनल कमिश्नर, वाणिज्य कर,
मुख्यालय, उत्तराखण्ड।

3965
पृ0प0सं0 /दिनांक उक्त।

प्रतिलिपिः– निम्नलिखित की सेवा में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1– सचिव वित्त, उत्तराखण्ड शासन।
1– महालेखाकार, उत्तराखण्ड वैभव पैलेस, इन्द्रानगर, देहरादून।
2– अध्यक्ष/सदस्य वाणिज्य कर अधिकरण, देहरादून/हल्द्वानी।
3– सलाहकार कर, उत्तराखण्ड शासन देहरादून।
4– एडिशनल कमिश्नर, वाणिज्य कर गढ़वाल जोन देहरादून/कुमाऊं जोन रूद्रपुर।
5– एडिशनल कमिश्नर (आडिट/प्रवर्तन) वाणिज्य कर मुख्यालय देहरादून।
6– **ज्वाइन्ट कमिश्नर(कार्य0) वाणिज्य कर, देहरादून/हरिद्वार/काशीपुर/हल्द्वानी को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि उक्त अधिसूचना की अतिरिक्त प्रतियां कराकर समस्त सरकारी विभागों एवं अपने अधीनस्थ समस्त कर–निर्धारण अधिकारियों/बार एसोसियेशन के पदाधिकारियों/व्यापारी संगठनों के अध्यक्ष/सचिव को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।**
7– ज्वाइन्ट कमिश्नर(अपील) वाणिज्य कर, देहरादून/हल्द्वानी।
8– **ज्वाइन्ट कमिश्नर(वि0अनु0शा0/प्रवर्तन) वाणिज्य कर, /हरिद्वार/रूद्रपुर को इस निर्देश**

3965/30-11-13

के साथ प्रेषित है कि उक्त अधिसूचना की अतिरिक्त प्रतियां कराकर अपने अधीनस्थ समस्त अधिकारियों को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

10— श्री रोशन लाल, डिप्टी कमिश्नर(क0नि0—3) देहरादून एवं **Web-Information Officer** को **NIC** एवं विभागीय **Website** पर **Update** करने हेतु।

11— निदेशक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री उत्तराखण्ड रूड़की को आगामी राजकीय गजट में प्रकाशनार्थ।

12— आई0टी0—अनुभाग मुख्यालय को इस निर्देश के साथ कि उक्त अधिसूचना स्कैन कर व्यापार प्रतिनिधियों/अधिवक्ताओं को **E-mail** द्वारा प्रेषित कर दें।

13—Intavatt Info. Pvt. 4 फेयरी मैनर IInd Floor 13— आर0 सिंधुआ मार्ग मुम्बई—400001 महाराष्ट्र।

14—National Law House बी—2 मॉडर्न प्लाजा बिल्डिंग अम्बेडकर रोड़, गाजियाबाद उत्तर प्रदेश।

15—National Law and Management House 15/5 राजनगर, गाजियाबाद उत्तर प्रदेश।

16—Swastk Publication एस0ई—233, शास्त्री नगर गाजियाबाद उत्तर प्रदेश।

17—Law Book Traders 10—नगर निगम कम्पाउण्ड केसरगन्ज रोड़ मेरठ उ0 प्र0।

18—डिप्टी कमिश्नर(उच्च न्या0 कार्य0) वाणिज्य कर, नैनीताल।

19—अध्यक्ष इण्डस्ट्रीज एसोसिएशन ऑफ उत्तराखण्ड सत्या इण्डस्ट्रीज, माहल्वेवाला औद्योगिक क्षेत्र देहरादून।

20—प्रान्तीय उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मण्डल कार्यालय क्वालिटी हार्डवेयर गांधी रोड़ देहरादून।

21—दून उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मण्डल नागलिया ऑटोमोबाईल त्यागी रोड़ देहरादून।

22— प्रदेश अध्यक्ष, प्रदेश उद्योग व्यापार मण्डल समिति, उत्तराखण्ड, सर्वश्री दीवान ट्रेडिंग कम्पनी 81— मोती बाजार देहरादून।

23—The whole sale dealers Association 14— आढ़त बाजार देहरादून।

24— प्रान्तीय इण्डस्ट्रीज एसोसिएशन 222/5 गांधी ग्राम देहरादून।

25— कार्यालय अधीक्षक/विधि--अनुभाग की गार्ड फाइल हेतु।

26— शोध अनुभाग/स्थापना— अनुभाग मुख्यालय हेतु।

27— समस्त अनुभाग अधिकारी/अनुभाग।

एडिशनल कमिश्नर, वाणिज्य कर,
मुख्यालय, उत्तराखण्ड।

संख्याः— / 2013 / 76(110) / XXVII(8) / 13

प्रेषक,

प्रदीप सिंह रावत,
संयुक्त सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

सर्वश्री गढवाल मण्डल विकास निगम लि0,
राजपुर रोड़,देहरादून।

वित्त अनुभाग–8

देहरादूनः:दिनांकः 26 नवम्बर,2013

विषयः— उच्च शक्ति प्राप्त समिति के समक्ष लम्बित वाद द्वितीय अपील संख्या–178 / 1991 वर्ष 1983–84 (के.),सर्वश्री गढ़वाल मण्डल विकास निगम लि0 बनाम आयुक्त कर,उत्तराखण्ड,देहरादून के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्रांक–2096 / H.P.C / 2013 दिनांक 21.09.2013 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें,जिसके माध्यम से उच्च शक्ति प्राप्त समिति के समक्ष लम्बित वाद द्वितीय अपील संख्या–178 / 1991 वर्ष 1983–84 (के.),सर्वश्री गढ़वाल मण्डल विकास निगम लि0 बनाम आयुक्त कर,उत्तराखण्ड,देहरादून के नेरेटिव एवं तथ्यात्मक आख्या शासन में उपलब्ध करायी गयी है।

2— उक्त के क्रम में शासनादेश संख्या–1156 / 2013 / 08(120) / XXVII(8) / 2003,दिनांक 18.11.2013 की प्रति संलग्न कर प्रेषित करते हुये मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि संबंधित शासनादेश में वर्णित व्यवस्थानुसार अग्रेत्तर कार्यवाही करने का कष्ट करें।

संलग्नक–यथोपरि।

भवदीय,

(प्रदीप सिंह रावत)
संयुक्त सचिव।

संख्या–1152–(1) / 2013 / 76(110) / XXVII(8) / 13,तद्दिनांक

प्रतिलिपिः— आयुक्त,कर,उत्तराखण्ड,देहरादून को उक्त के क्रम में सूचनार्थ प्रेषित।

आज्ञा से,

(प्रदीप सिंह रावत)
संयुक्त सचिव।

1445
27/11/13

उत्तराखण्ड शासन
वित्त अनुभाग–8
संख्या /2013/08(120)/XXVII(8)/2003
देहरादूनः: दिनांक :: 18 नवम्बर, 2013

: कार्यालय–ज्ञाप :

1– शासन के कार्यालय ज्ञाप सं0 658/2013/08(120)/XXVII(8)/2003 दिनांक 03 जुलाई, 2013 के द्वारा व्यवस्था की गयी थी कि यदि राज्य सरकार का कोई विभाग, निगम अथवा उपक्रम, राज्य सरकार के ही किसी विभाग, निगम अथवा उपक्रम के किसी आदेश [illegible] चुनौती देने के उद्देश्य से मुकदमा दायर करने योग्य समझता है तो उसे ऐसे मामल का, इस हेतु शासन द्वारा गठित High Power Committee(HPC) को सन्दर्भित करना होगा। HPC के अन्दर सुलह (conciliation) का प्रयास किया जायेगा जिससे विवाद आपसी विचार–विमर्श के द्वारा समिति की मध्यस्थतता (good offices) से हल हो जायें। यदि समिति विवाद को हल करने में असमर्थ रहती हो तो उसके द्वारा इसके कारणों को अंकित (record) करते हुए litigation हेतु clearance प्रदान किया जायेगा।

2– High Power Committee का गठन करते हुए उक्त व्यवस्था, माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा "Oil And Natural Gas Commission बनाम Collector Of Central Excise" के वाद [1994] 70 ELT 45 / [2004] 6 SCC 437 में दिए गए निर्णय दिनांक 07 जनवरी, 1994 के द्वारा निर्गत निर्देशों के अन्तर्गत की गयी थी।

3– परन्तु मा0 सर्वोच्च न्यायालय की संविधान पीठ द्वारा, Electronics Corporation of India Ltd.-Appellant(s) बनाम Union of India & Ors.- Respondent(s) के मामले में दिनांक 17 फरवरी, 2011 को आदेश जारी करते हुए, इस संबंध में अपने द्वारा जारी किए गए पूर्व आदेशों (i)1995 Supp(4) SCC 541 dated 11-10-1991 (ii) (2004)6SCC 437 dated 07-01-1994 एवं (iii) (2007) 7 SCC 39 dated 20-07-2007 दिनांक 07 जनवरी, 1994 को recall करते हुए कहा गया है कि आदेश दिनांक 07 जनवरी, 1994 के द्वारा निर्धारित किए गए Mechanism से अपेक्षित परिणाम नहीं मिल पाये हैं और इस Mechanism के कारण litigation में विलम्ब हुआ है और उसकी उपयोगिता समाप्त हो गयी है।

4– उत्तराखण्ड राज्य में बड़ी संख्या में ऐसे वाद हैं, लम्बे समय से जिनका हल, उपर्युक्त Mechanism के कारण न तो न्यायालयों से और न ही HPC से हो पाया है। अतः मा0 सर्वोच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 17 फरवरी, 2011 को देखते हुए **कार्यालय ज्ञाप सं0 658/2013/08(120)/XXVII(8)/2003 दिनांक 03 जुलाई, 2013 को तत्काल प्रभाव से निरस्त किया जाता है** और आदेशित किया जाता है कि यदि राज्य सरकार का कोई विभाग, निगम, अथवा उपक्रम, राज्य सरकार के किसी अन्य विभाग, निगम, अथवा उपक्रम के किसी आदेश(order) अथवा कार्यवाही (proceedings) से क्षुब्ध(aggrived) है और उसे विवादित मानने के कारण किसी कोर्ट अथवा ट्रिब्यूनल से निस्तारित कराना चाहता है तो वह इस हेतु संबंधित कोर्ट अथवा ट्रिब्यूनल में, समय–समय पर निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार, अपील कर सकता है।

5– चूंकि इस कार्यालय ज्ञाप के द्वारा व्यवस्था में परिवर्तन हो जायेगा अतः संक्रमण कालीन प्राविधान(Transitional Provisions) के अन्तर्गत यह आदेशित किया जाता है कि यदि राज्य के किसी विभाग, निगम, अथवा उपक्रम, के किसी आदेश के कारण राज्य के किसी विभाग, निगम, अथवा उपक्रम के विरूद्ध किसी कर अथवा अन्य राशि की बकाया/मांग हो और उसकी वसूली के लिए "वसूली प्रमाण पत्र" जारी किए जाने योग्य हो तो ऐसे मामलों में "वसूली प्रमाण पत्र" इस कार्यालय ज्ञाप के जारी होने के 90 दिनों तक, जारी नहीं किया जायेगा। इस अवधि में क्षुब्ध(aggrived) पक्ष को यह अवसर होगा कि वह इन 90 दिनों के अन्दर संबंधित कोर्ट अथवा ट्रिब्यूनल, जैसी भी स्थिति हो, से remedy/स्थगन/निर्णय प्राप्त कर ले।

(सुभाष कुमार)
मुख्य सचिव।

पृ0प0सं0 1156 /2013/08(120)/XXVII(8)/2003 तद्दिनांक।

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु–

1– कार्यालय ज्ञाप दिनांक 03 जुलाई, 2013 द्वारा गठित उच्च शक्ति प्राप्त समिति के सदस्यों को।
2– मुख्य स्थायी अधिवक्ता, उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय, नैनीताल।
3– समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
4– अध्यक्ष, वाणिज्य कर अधिकरण, उत्तराखण्ड।
5– समस्त विभागाध्यक्ष, उत्तराखण्ड।
6– उत्तराखण्ड सरकार के समस्त निगमों/उपक्रमों के प्रबन्ध निदेशक/मुख्य कार्यकारी अधिकारी।
7– समस्त जिलाधिकारी उत्तराखण्ड।
8– नोडल अधिकारी, गठित उच्च शक्ति प्राप्त समिति।
9– एन0आई0सी0
10– गार्ड फाइल हेतु।

(सुभाष शर्मा)
अपर मुख्य सचिव, वित्त।